भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2726

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

समयावधि-विशेष के लिए प्रवास

2726. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने श्रमिकों के समयावधि-विशेष के लिए प्रवास और ग्रामीण परिवारों पर इसके प्रभाव से संबंधित वास्तविक आंकड़े एकत्र करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो बारम्बार मांग किए जाने के बाद भी ऐसी ट्रैकिंग न किए जाने कारण क्या हैं; और

(ख) विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों द्वारा यथाप्रदर्शित ग्रामीण गरीबी स्तर में बढ़ोत्तरी का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिकों का प्रवास एक सतत प्रक्रिया है और बहुआयामी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल भी प्रारंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों, जिसमें प्रवासी श्रमिक भी सम्मिलित हैं, का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। दिनांक 10 दिसंबर 2025 तक, प्रवासी श्रमिकों सहित 31.41 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में उन कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का प्रावधान है जो अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करते हैं तथा इसमें ठेकेदारों को लाइसेंस दिए जाने का भी प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सीय सुविधाएँ तथा सुरक्षात्मक वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

(ख): ग्रामीण गरीबी का समाधान करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन-स्तर में समग्र सुधार लाना और गरीबी उन्मूलन है। इन्हें आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने, न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराने, स्व-रोजगार को बढ़ावा देने, युवाओं को विभिन्न उपयोगी व्यवसायों में कौशल प्रदान करने तथा उद्यमिता गुण विकसित करने, आधारभूत संरचना विकास तथा सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है।

*****